



2025:सीजीएचसी:11346-डीबी

1

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण क्रमांक 4/2020

{सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा सेवा कर अपील क्रमांक 50962/2019 [एसएम] में पारित अंतिम आदेश क्रमांक ए/51436/2019-एसएम [बीआर] दिनांक 7-11-2019 से उद्धृत}

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक - 19-2-2025

आदेश पारित करने का दिनांक- 7-3- 2025

मेसर्स विजय प्रताप, पिता श्री अंबिका सिंह, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 69, चांदेपुर, चांडवक, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, 222129

--- अपीलार्थी

बनाम

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, धमतरी रोड, टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492001
2. अध्यक्ष, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, पश्चिमी ब्लॉक क्र. 2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली, 110066

अपीलार्थी हेतु : श्री अधिराज सुराना, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता।

खण्ड पीठ :-

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जयसवाल

सी. ए. वी आदेश



माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 छ के अन्तर्गत प्रस्तुत यह कर अपील, विधि का एक सारवान प्रश्न तैयार करके दिनांक 27-1-2025 को सुनवाई हेतु स्वीकार की गई, जिसे दिनांक 14-2-2025 को संशोधित किया गया, जो इस प्रकार है: -

“क्या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेश की पुष्टि करने में न्यायसंगत है, यह मानते हुए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) ने अपीलार्थी की अपील को परिसीमा से वर्जित होने के कारण एक निष्कर्ष दर्ज करके उचित तरीके से खारिज कर दिया है, जो अभिलेख के विपरीत है? ”

2. उपर्युक्त विधि संबंधी सारवान प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है: -

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त ने दिनांक 15-5-2017 को अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और अंततः अपीलार्थी की सुनवाई के बाद सहायक आयुक्त ने दिनांक 5-12-2017 को न्याय निर्णय आदेश पारित किया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार सहायक आयुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति/अपीलार्थी को आदेश की सूचना दी जानी अपेक्षित थी। उत्तरवादियों के अनुसार उक्त आदेश अपीलार्थी को मूल रूप से स्पीड पोस्ट/ परेषण क्रमांक EC080953003IN के माध्यम से उनके कार्यालय से दिनांक 15-12-2017 को प्रेषित किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी का प्रकरण यह है कि सहायक आयुक्त का आदेश वास्तव में उसे दिनांक 27-7-2018 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ था और परिणामस्वरूप, उसने दिनांक 25-9-2018 को आयुक्त (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के समक्ष अपील की, जिसमें कहा गया कि आदेश उसे दिनांक 27-7-2018 को प्राप्त हुआ है। हालांकि, दिनांक 14-12-2018 के आदेश द्वारा, विद्वान आयुक्त (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपील परिसीमा द्वारा वर्जित है क्योंकि इसे स्पीड पोस्ट द्वारा ऐसे आदेश के संचार की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और उस आदेश के विरुद्ध व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने दिनांक 12-2-2019 को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 ख के अधीन अपील प्रस्तुत की, जिसे उक्त न्यायाधिकरण ने यह



कहते हुए खारिज कर दिया कि आयुक्त (अपील) ने अपील को उचित तरीके से खारिज कर दिया है क्योंकि आयुक्त (अपील) को 60 दिनों से अधिक 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, जिसके दौरान अपील को अन्यथा **सिंह एंटरप्राइजेज बनाम आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर और अन्य**¹ के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए दायर किया जाना आवश्यक था। आयुक्त (अपील) के आदेश की पुष्टि करते हुए सीईएसटीएटी द्वारा पारित निर्णय और आदेश की वैधता, विधिमान्यता और शुद्धता पर प्रश्न उठाते हुए, यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें विधि का सारवान प्रश्न, जैसा कि इस आदेश के प्रारंभिक पैरा में दर्शाया गया है, पहले ही विचार के लिए तैयार किया जा चुका है।

4. अपीलार्थी/करदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अधिराज सुराणा ने तर्क प्रस्तुत किया कि सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35(1) में निहित प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी को आदेश संसूचित करना आवश्यक था तथा संसूचना का तरीका धारा 37 ग में प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 ग (1)(ए) के आधार पर, धारा 37 ग (1)(ए) में दिनांक 10-5-2013 से सम्मिलित परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भी आदेश की तामील की जा सकती है तथा वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि उत्तरवादियों ने इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि सहायक आयुक्त द्वारा पारित आदेश को परेषण क्रमांक EC080953003IN के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था, लेकिन उक्त दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि Indiapost.gov.in में दिखाई गई परिदान की स्थिति कहती है, " परेषण का विवरण नहीं मिला"। दिनांक 27-7-2018 को ई-मेल द्वारा आदेश प्राप्त होने के बाद, अपील दिनांक 25-9-2018 को परिसीमा अवधि के भीतर दायर की गई है, इसलिए, अपील को आयुक्त (अपील) द्वारा परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था और इसे सीईएसटीएटी द्वारा पुष्टि नहीं की जानी चाहिए थी और दोनों अधिकारियों ने परिसीमा अवधि को अनुचित तरीके से लागू करने में एक साथ श्रुति की है, क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 (1) स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि आदेश को पीड़ित व्यक्ति को संसूचित किया जाना चाहिए ताकि वह अपीलीय प्राधिकारी अर्थात आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने के विधि के अधीन उपलब्ध उपाय का लाभ उठा सके। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 ग में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित कोई भी निर्णय या आदेश परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा, हालांकि, वर्तमान

1 (2008) 3 SCC 70



प्रकरण में, अपीलार्थी को आदेश स्पीड पोस्ट के माध्यम से परेषण नंबर EC080953003IN के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन परिदान का कोई प्रमाण नहीं है, यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा आदेश की संसूचना दिखाने वाला दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश है जो प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35(1) के साथ धारा 37 सी(1)(ए) के अनुपालन में कभी भी संसूचित नहीं किया गया था, जिससे वह अपील करने में सक्षम हो गया। इसलिए, आयुक्त (अपील) और साथ ही सीईएसटीएटी द्वारा पारित आदेश जिसमें अपील को सीमा अवधि द्वारा वर्जित माना गया है, उसे करदाता के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर देकर निरस्त किया जाना चाहिए और विधि के अनुसार अपील को अपने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से तय किया जाना चाहिए। श्री सुराणा अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए सरल वायर क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर और अन्य² के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेंगे।

5. राजस्व/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 5-12-2017 का न्याय निर्णय आदेश उसी दिन प्राधिकरण द्वारा स्पीड पोस्ट परेषण क्रमांक EC080953003IN के माध्यम से अपीलार्थी के पते पर भेज दिया गया था तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 ग (1)(क) के अनुसार स्पीड पोस्ट द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना वैध सेवा है, अतः आयुक्त (अपील) ने अपील को उचित रूप से खारिज कर दिया है, जिसकी पुष्टि सीईएसटीएटी ने आदेश में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि न पाते हुए की है। अतः वर्तमान अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वात्मक तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

7. अधिवक्ता द्वारा उठाये गये अभिवाक पर विचार करने के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35(1) पर गौर करना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है: -

“35. आयुक्त (अपील) को अपील.--(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से निम्न पद के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश से व्यथित है, ऐसे



निर्णय या आदेश की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) [जिसे इस अध्याय में आगे आयुक्त (अपील) कहा गया है] को अपील कर सकेगा:

बशर्ते कि आयुक्त (अपील), यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को 60 दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उसे तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।”

8. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35(1) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से पीड़ित व्यक्ति को आदेश संप्रेषित करना आवश्यक है और इस प्रकार परिसीमा संसूचित करने की तिथि से शुरू होगी। हालांकि, धारा 35(1) में प्रयुक्त शब्द "संसूचना" को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए, सुसंगत व्याख्या के नियम को लागू करके और संबंधित प्रावधानों की भाषा को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या की जानी चाहिए (देखें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य³)।

9. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (छठे संस्करण) के अनुसार, "संसूचना" शब्द का अर्थ है, दी गई सूचना; एक दूसरे के साथ ज्ञान साझा करना; सम्मेलन; अनुबंध करने की तैयारी के लिए परामर्श या सौदेबाजी। "संसूचना" को आम तौर पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों या राय का जानबूझकर आदान-प्रदान माना जाता है, जो "रेस गेस्टे" अभिव्यक्तियों से अलग है जो सहज या स्वतः रूप से उकसाए जाते हैं, या ऐसे सदमे या उत्तेजना के अधीन किए जाते हैं जो स्वरूप की संभावना को रोकते हैं। संसूचना का सामान्य अर्थ सूचना प्रदान करना या संचारित करना है (देखें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एस.पी. सिंह⁴)।

10. कुबिक दारुज बनाम भारत संघ और अन्य⁵ के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA अधिनियम) के अधीन हिरासत के आधारों के संचार से निपटते हुए कहा कि "संसूचना" एक कठोर शब्द है। इसके लिए आवश्यक है कि आधारों का गठन करने वाले मूल तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान बंदी को प्रभावी ढंग से और

3 (2010) 5 SCC 23

4 (2008) 5 SCC 438

5 (1990) 1 SCC 568



पूरी तरह से लिखित रूप में उस भाषा में दिया जाना चाहिए जिसे वह समझता हो, ताकि वह उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सके।

11. कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास बनाम मेसर्स एम.एम. रबर एंड कंपनी, तमिलनाडु⁶ के प्रकरण में, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट, 1944 की धारा 35-ई से निपटते हुए माना कि यदि इरादा प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को उपाय प्रदान करना है, तो वैधानिक प्रावधान इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि सीमा आदेश के संचार की तिथि से शुरू हो, और पैराग्राफ 18 में निम्नानुसार देखा गया: -

“18. इस प्रकार यदि वैधानिक प्रावधान का उद्देश्य या प्रारूप प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति के हितों की रक्षा करना था, तो आदेश या निर्णय के विरुद्ध उपचार प्रदान करके ऐसे उपचार को लागू करने के संदर्भ में निर्धारित सीमा की कोई भी अवधि आदेश के संचार की तिथि से शुरू होने के रूप में पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर यह किसी सक्षम प्राधिकारी के लिए आदेश देने के लिए एक सीमा है, तो उस शक्ति के प्रयोग की तिथि और अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों पर स्वप्रेरणा शक्ति के प्रयोग के प्रकरण में, जिस तिथि को आदेश बनाकर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया था, वह सीमा निर्धारित करने के लिए सुसंगत तिथि हैं। इस अंतर का अनुपात इस सिद्धांत पर भी आधारित हो सकता है कि सरकार अपने अधिकारियों की कार्यवाही से बंधी हुई है, लेकिन प्रभावित व्यक्ति निर्णय से समाप्त नहीं होते हैं।”

12. इसी तरह, दिल्ली नगर निगम बनाम कीमत राय गुप्ता और अन्य⁷ के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी आदेश को सामान्यतः तब बनाया हुआ माना जाएगा जब उस पर हस्ताक्षर किए गए हों। इसे संसूचित किया जाना आवश्यक है, जहां इसकी सूचना किसी स्थिति के अंतिम परिणाम तक पहुंचने या किसी व्यक्ति को विधि का सहारा लेने का अवसर प्रदान करने के लिए एक आवश्यक घटक है, यदि वह इससे व्यथित है। माननीय न्यायाधीशों ने आगे कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126(4) में आने वाले शब्द "पारित" का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि जब तक आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तब तक इसे पारित नहीं माना जाना चाहिए।

6 1992 Supp (1) SCC 471

7 (2007) 7 SCC 309



13. **डी. साईबाबा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एक अन्य⁸** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि अधिवक्ता संघ अधिनियम, 1961 की धारा 48 क क के अधीन समीक्षा दायर करने की परिसीमा अवधि, आदेश की तिथि या उसके सूचना से शुरू होनी चाहिए या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि परिसीमा अवधि, निष्पक्षता और व्यावहारिकता के सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हुए, आदेश के संचार या ज्ञान की तिथि से शुरू होनी चाहिए। माननीय न्यायाधीशों ने अपीलों को स्वीकार की, बार काउंसिल के आदेशों को खारिज कर दिया और अपीलार्थी के (उसमें) अधिवक्ता के रूप में नामांकन को पुनःस्थापित कर दिया। माननीय न्यायाधीशों ने पैरा 14 में आगे कहा:—

“14. संबंधित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह प्रावधान द्वारा प्रदत्त समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा जब तक कि उसे आदेश की जानकारी न हो या वह उसे वास्तविक रूप से या रचनात्मक रूप से ज्ञात न हो? इसलिए, “उस आदेश की तिथि” का अर्थ है और इसे इस रूप में समझा जाना चाहिए कि समीक्षा किए जाने वाले आदेश की जानकारी या ज्ञान की तिथि, वास्तविक या रचनात्मक है।”

14. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35(1) में निहित प्रावधानों और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि धारा 35(1) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा आदेश संसूचित करने का उद्देश्य व्यथित व्यक्ति को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने में सक्षम बनाना है, जिसमें इस प्रकार संसूचना आदेश को चुनौती दी जा सके और यह अवधि भी विशेष रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उसे ऐसे निर्णय के संसूचना की तिथि से 60 दिन की निर्धारित की गई है, इस प्रकरण में सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को और इसके अलावा अपील दायर करने में देरी को क्षमा करने की शक्ति आयुक्त (अपील) को सीमित कर दी गई है, जिससे अपील को धारा 35(1) में संलग्न प्रावधान में निर्दिष्ट 60 दिनों के अतिरिक्त 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति मिल गई है। इसलिए, अपील दायर करने की समय सीमा $60 + 30 = 90$ दिन मानते हुए, अपील निर्णय या आदेश की सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। इसलिए, आदेश को सूचित किया जाना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को निर्णय या आदेश के विषय में



अवश्य बताया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आदेश या निर्णय से प्रभावित पक्ष को वास्तव में या रचनात्मक रूप से यह पता होना चाहिए और 60 दिनों की अवधि सूचना की तिथि से चलनी शुरू होगी।

15. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 ग में निर्णयों, आदेशों, समन आदि की तामील का तरीका बताया गया है, जो इस प्रकार है: -

“37 ग निर्णयों, आदेशों, समनों आदि की तामील--(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित कोई निर्णय या आदेश या जारी किया गया कोई समन या नोटिस, -

(क) निर्णय, आदेश, समन या नोटिस प्रस्तुत करके या रसीद सहित पंजीकृत डाक से या परिधान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट से या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अनुमोदित कूरियर द्वारा उस व्यक्ति को जिसके लिए यह अभिप्रेत है या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को, यदि कोई हो, तामील किया जाएगा;

(ख) यदि निर्णय, आदेश, समन या नोटिस खंड (क) में दिए गए तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है, तो उसकी एक प्रति कारखाने या गोदाम या अन्य व्यवसाय के स्थान या उस व्यक्ति के सामान्य निवास स्थान के किसी स्पष्ट भाग पर लगाकर, जिसके लिए ऐसा निर्णय, आदेश, समन या नोटिस, जैसा भी प्रकरण हो, भेजा जा रहा है।

(ग) यदि निर्णय, आदेश, समन या नोटिस खंड (क) और (ख) में दिए गए तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है, तो उस अधिकारी या प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रति लगाकर जिसने ऐसा निर्णय या आदेश पारित किया है या ऐसा समन या नोटिस जारी किया है।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित प्रत्येक निर्णय या आदेश या जारी किया गया कोई समन या नोटिस उस तिथि को तामील हुआ माना जाएगा जिस तिथि को निर्णय, आदेश, समन या नोटिस उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाक या कूरियर द्वारा प्रस्तुत या वितरित किया जाता है या उसकी एक प्रति उपधारा (1) में प्रदान की गई रीति से चिपकाई जाती है।”



16. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 सी(1) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित कोई निर्णय या आदेश या जारी किया गया कोई समन या नोटिस, परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भी उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके लिए वह भेजा गया है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, यदि कोई हो; यदि निर्णय, आदेश, समन या नोटिस, धारा (क) में दिए गए तरीके से नहीं दिया जा सकता है, तो उसकी एक प्रति, कारखाने या गोदाम या अन्य व्यवसायिक स्थान या उस व्यक्ति के सामान्य निवास स्थान के किसी प्रमुख भाग पर लगाकर, जिसके लिए ऐसा निर्णय, आदेश, समन या नोटिस, जैसा भी प्रकरण हो, दिया गया है; और यदि निर्णय, आदेश, समन या नोटिस, धारा (क) और (ख) में दिए गए तरीके से नहीं दिया जा सकता है, तो उसकी एक प्रति उस अधिकारी या प्राधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगाकर, जिसने ऐसा निर्णय या आदेश पारित किया है या ऐसा समन या नोटिस जारी किया है। धारा 37 ग की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित प्रत्येक निर्णय या आदेश या जारी किया गया कोई समन या नोटिस उस तिथि को तामील हुआ माना जाएगा जिस तिथि को निर्णय, आदेश, समन या नोटिस प्रस्तुत किया गया है या डाक द्वारा दिया गया है।

17. इस संबंध में, सरल वायर क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 ग में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया था कि प्रभावित पक्ष को सार्थक और वास्तविक रूप से सेवा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि न केवल यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे इसके बारे में जानकारी है, बल्कि उसे कोई भी अनुमेय कार्यवाही शुरू करने में भी सक्षम बनाया जा सके। माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“7. संबंधित पक्ष को उचित सूचना दिए बिना किसी प्रकरण पर निर्णय लेना कानूनन अपराध है। प्रभावित पक्ष को सार्थक और वास्तविक रूप से सेवा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि न केवल यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे इसकी जानकारी है बल्कि उसे कोई भी अनुमेय कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। ...

9. इन परिस्थितियों में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि न्याय में चूक हुई है, क्योंकि अधीनस्थ अधिकारी/न्यायालय अधिनियम की धारा 37-ग (1)(क) की विशिष्ट भाषा को नोटिस करने में विफल रहे हैं, जिसके अनुसार आदेश संबंधित व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि पर दिया जाना चाहिए, दूसरे शब्दों में, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं, ताकि



प्रभावकारिता सुनिश्चित हो सके। हमें टेलर बनाम टेलर⁹ के निर्णय को तुरंत याद करना चाहिए, जो अपनी न्यायिक स्वीकृति के कारण सम्माननीय है और एक शताब्दी से अधिक समय से लागू है। इसे नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर¹⁰ में प्रिवी काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया था और बाद में राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य¹¹, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंधारा सिंह¹², बाबू वर्गीस बनाम केरल बार काउंसिल¹³ और हाल ही में हुसैन घड़ियाली बनाम गुजरात राज्य¹⁴ में लागू किया गया था। जैसा कि इस न्यायालय ने बाबू वर्गीस (पूर्वोक्त) में कहा है: (एससीसी पृ. 432, पैरा 31)

“31. यह विधि का बुनियादी सिद्धांत है जो लंबे समय से स्थापित है कि यदि किसी विशेष कार्य को करने का तरीका किसी विधि के अधीन निर्धारित किया गया है, तो कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।”

18. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 ग में निहित प्रावधानों के प्रकाश में प्रकरण के तथ्यों पर अंततः लौटते हुए, जो निर्णय या आदेश की प्रति की सेवा करने का तरीका प्रदान करता है, यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति, अपीलार्थी/करदाता को आदेश संसूचित करने का उद्देश्य उसे आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्णायक आदेश के विरुद्ध अपील करने में सक्षम बनाना है, क्योंकि अपील करने के लिए संसूचना की तिथि से मात्र 60 दिनों का समय प्रदान किया गया है और आयुक्त (अपील) को मात्र 30 दिनों की देरी को क्षमा करने का अधिकार है और इस प्रकार, संसूचना की तिथि से 90 दिनों के बाद, आयुक्त (अपील) को देरी को क्षमा करने के लिए कोई और अधिकारिता प्रदान नहीं की गई है। सिंह एंटरप्राइजेज (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा अधिनियम की धारा 5 का पूर्ण बहिष्कार है। इसलिए, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 ग (1)(क) के साथ धारा 35(1) में निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने तथा पीड़ित व्यक्ति को आदेश सूचित करने के लिए बाध्य थे, जो वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी/करदाता को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना/माल क्रमांक EC080953003IN द्वारा संसूचित किया गया है, लेकिन इस न्यायालय के

9 (1875) LR 1 Ch D 426

10 1936 SCC OnLine PC 41 : (1935-36) 63 IA 372 : (1936) 44 LW 583

11 AIR 1954 SC 322 : 1954 Cri LJ 910

12 AIR 1964 SC 358 : (1964) 1 Cri LJ 263 (2)

13 (1999) 3 SCC 422

14 (2014) 8 SCC 425 : (2014) 6 SCC (Cri) 26



समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार, परेषण स्पीड पोस्ट/ परेषण क्रमांक EC080953003IN द्वारा 15-12-2017 को भेजा गया है, तथापि, उस संबंध में परिदान का कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि संचार दिखाने वाला अभिलेख 14-2-2025 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यहां तक कि अधीक्षक (अपील), सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर और सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, संभाग कोरबा के बीच दिनांक 13-12-2018 का सूचना, जो कि अपीलार्थी/करदाता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18-2-2025 को दायर किया गया दस्तावेज है, यह दर्शाता है कि खेप का विवरण नहीं मिला है और वह गायब है। इस प्रकार, विषय खेप की परिदान के प्रमाण को प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा पारित न्यायनिर्णयन आदेश के साथ संसूचित किया गया था, जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35(1) के साथ धारा 37 ग (1)(क) के अधीन आवश्यक है, जो यह अनिवार्य करता है कि आदेश को परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा तामील किया जाना चाहिए। इसलिए, अपीलार्थी के अनुसार, जब उसे दिनांक 27-7-2018 को ई-मेल द्वारा अधिनिर्णय आदेश की प्रति भेजी गई, तो उसे दिनांक 25-9-2018 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जो कि आदेश की सूचना की तिथि से 60 दिनों की परिसीमा अवधि के भीतर है, क्योंकि अपीलार्थी को वास्तव में दिनांक 27-7-2018 को आदेश भेजा गया था। इस प्रकार, आयुक्त (अपील) ने अपील को परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित मानते हुए और इसे आदेश की सूचना की तिथि से 60 दिनों की अवधि के बाद दायर करके गंभीर विधिक त्रुटि की है। सीईएसटीएटी ने भी आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करके अपील को परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज करके आयुक्त (अपील) द्वारा की गई अवैधता को यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है।

19. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेशों को सीईएसटीएटी द्वारा पुष्टि की जाती है। निर्णायक रूप से, विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर करदाता के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध दिया जाता है। प्रकरण आयुक्त (अपील) को भेजा जाता है ताकि अपील पर विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके, क्योंकि अपील बहुत पहले प्रस्तुत की गई है और इस पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना आवश्यक है। कोई वाद व्यय नहीं।



2025:सीजीएचसी:11346-डीबी

12

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जयसवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

